अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

शासी निकाय की द्वितीय बैठक
दिनांक 26.09.2015 का कार्यवाही विवरण

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 26.09.2015 को श्री उमाशंकर गुप्ता, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति संलग्न प्रपत्र–अ अनुसार रही।

शासी निकाय की बैठक में एजेण्डावार चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

GB-2/1 शासी निकाय की दिनांक 07.05.2014 को संपन्न प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णयः शासी निकाय द्वारा निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

GB-2/2 दिनांक 07.05.2014 को संपन्न प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही।

निर्णयः शासी निकाय प्रथम बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवाही विवरण पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से अवगत हुआ।

GB-2/3 संस्थान के वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों का अनुमोदन।

निर्णयः शासी निकाय द्वारा संस्थान के वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

GB-2/4 संस्थान के वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के Statement of Accounts एवं वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन।

निर्णयः संस्थान के वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक के Statement of Accounts एवं वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया। भविष्य में ऑडिटर की रिपोर्ट एजेण्डा में संलग्न की जाये।

GB-2/5 **अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए अमले एवं सेवा शर्तों का अनुमोदन।**

निर्णयः शासी निकाय द्वारा एजेण्डा अनुसार संस्थान के प्रस्तावित अमले एवं सेवा शर्तों का अनुमोदन निम्न संशोधनों के साथ किया गयाः–

1. **अध्याय–1, कंडिका 1.2:** अनुक्रमांक 23 से 25 तक के कर्मचारियों का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेः–

S.No.	Post	No. of Post	Pay Scale for Deputationists	Consolidated emoluments for Tenure Employees
23	Assistant	17	--	Rs.10,000/-
24	Driver-cum-Multi skilled (MSW)	3	--	Rs.8,000/-
25	Multi skilled Worker	9	--	Rs.6,500/-

2. **अध्याय–2, कंडिका–2.2 (C):** वाक्यांश "Special pay scale/allowances or" विलोपित किया जाये।
3. **अध्याय–2, कंडिका–2.8** (i) **से कंडिका 2.8** (vi) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका **2.8** (i) जोड़ी जायेः–

   2.8 (i) The travelling allowance rules, as approved by the state government from time to time will also be applicable to the employees of the institute.
4. **अध्याय–2, कंडिका–2.9** (i) **को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका 2.9** (i) **स्थापित की जायेः–**

   2.9 (i) The tenure employees shall be entitled to get Earned leave of 15 days in a Year and casual leave of 13 days in a year. They will also be entitled to avail 3 restricted holidays as decided by the state government. The leave shall be availed by the employee with prior sanction of the competent authority.
5. **अध्याय–2, कंडिका–2.9** (iii) को विलोपित किया जाये।
6. **अध्याय–2, कंडिका–2.9 में में अंतिम उप कंडिका के उपरांत नई उप कंडिका निम्नानुसार जोड़ी जायेः–**

   The Competent Authority can sanction Extra Ordinary Leave (leave without pay) in case when no other entitled leave is at the credit of the

employee. This extra ordinary leave can be granted by the competent authority in special circumstances such as delivery, medical ground, for higher study for which permission has been granted by competent authority. The period of extra ordinary leave will be limited to 06 months. This period will be not counted for granting annual increment.

GB-2/6 **अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली का अनुमोदन।**

निर्णयः शासी निकाय द्वारा एजेण्डा अनुसार संस्थान की सामान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमावली का अनुमोदन निम्न संशोधनों के साथ किया गया:—

1- **अध्याय—4, कंडिका 4.7** (i) **को विलोपित कर नई कंडिका 4.7** (i) **निम्नानुसार स्थापित की जाये:—**

4.7 Service Record

(i) For every tenure employee of the institute (and if required for deputationist), service record shall be maintained by the Manager (Administration) in the prescribed form in which the name of the person, his educational qualifications, date of birth, father's name, permanent address, etc., shall be recorded after proper verification. The date of appointment, post held and initial pay and scale of pay and other necessary particulars should also be recorded therein. All important events of a person's service career e.g. leave of every description other than causal leave enjoyed by the employee, increment of pay, suspension, punishment, etc., shall be noted in the service record over the signature of an officer not below the rank of Manager (Administration).

2. Appendix-V Delegation of Administrative and Financial Powers की कंडिका AP-18 में Director General की Full Powers के स्थान पर Upto 09 Months किया जाये।

साथ ही निर्णय लिया गया कि:—

(a) कलेक्टर रेट पर आकस्मिक कार्यो को छोड़कर अन्य रेग्यूलर कार्य जैसे— ड्राईवर, स्वीपर, माली, गार्ड, आदि पदों पर लंबे समय के लिये कलेक्टर दर पर कर्मचारियों को रखना उचित नहीं है। अतः संस्थान द्वारा इन कार्यो हेतु कर्मचारियों की संख्या Competent Authority से आगामी बैठकों में निर्धारित कराई जाये एवं निर्धारित की गई संख्या अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं आऊटसोर्स के माध्यम से प्राप्त की जाये।

(b) वर्तमान में कार्यरत मल्टी स्किल्ड वर्कर तथा ड्राईवर के पद रिक्त होने पर इन पदों पर संविदा नियुक्ति न करते हुए स्वीकृत संख्या अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं आऊटसोर्स के माध्यम से प्राप्त की जायें।

3. Appendix-V Delegation of Administrative and Financial Powers की कंडिका AP-19, AP-20, AP-21 को विलोपित किया जाये।

4. Appendix-V Delegation of Administrative and Financial Powers की कंडिका FP-15 को विलोपित किया जाये।
5. Appendix-V Delegation of Administrative and Financial Powers की कंडिका FP-17 में शब्द Credited के पहले शब्द Wrongly अंतः स्थापित किया जाये।
6. Appendix-V Delegation of Administrative and Financial Powers की कंडिका FP-31 में Executive Body के स्थान पर Governing Body किया जाये।

GB-2/7 **संस्थान के रेग्युलेशन में संशोधन।**

निर्णयः शासी निकाय द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार संस्थान के रैग्यूलेशन में संशोधनों का अनुमोदन किया गया।

GB-2/8 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयः—**

निर्णयः महानिदेशक की संस्थान की गतिविधियों के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान निम्न सुझाव अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों द्वारा दिये गयेः—

1- Ease of Doing Business के वे पहलू जिनका अध्ययन उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया गया है, उन्हें संस्थान द्वारा शोध कार्य में शामिल किया जाये।

2. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा शासन की Flagship Schemes का थर्ड पार्टी इवेल्यूशन किया जाये।

3. संस्थान की रिपोर्ट्स पर विभागीय फोरम पर चर्चा की जाये, जिससे कि संस्थान के सुझावों पर कार्यवाही हो सके।

4. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. साईन किया जाये, जिससे कि विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्टूडेंट संस्थान के साथ मिलकर कार्य कर सकें।

5. संस्थान द्वारा निम्न विषयों पर अध्ययन करने पर विचार किया जायेः—

   (i) अधिकांश न्यायलयीन प्रकरणों में शासन क्यों हारता है, इसकी कुछ कैस स्टडीज की जाये तथा इस संबंध में शासन को सुझाव दिया जाये।

(ii) शासकीय अधिवक्ता प्रणाली कितनी कारगर है, इसका अध्ययन किया जाये। बड़े विभागों में लीगल सेल बनाने पर विचार।

(iii) संस्थान द्वारा Delegation of Power एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजें गये है। विभाग संस्थान के साथ समन्वय कर इन पर कार्यवाही करे।

(iv) प्रभाव आंकलन अध्ययन में Field Investigators की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः इस कार्य हेतु अच्छे Field Investigators का पूल बनाया जाये।

(v) विभागो/जिलों में जो नवाचार हो रहे है, उनको कैसे संस्थागत किया जाये, इस पर विचार किया जाये।

(vi) मंत्रालय की कार्यप्रणाली में निम्न बिन्दुओं का प्रभाव आंकलन अध्ययन किया जायेः–

अ. चतुर्थ श्रेणी से लिपिकीय वर्ग में पदोन्नति।

ब. विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के कोटे के पदों को पदोन्नति से भरे जाने की प्रवृति।

(vii) मंत्रालयीन कार्यप्रणाली में Systemic सुधार हेतु संस्थान द्वारा अध्ययन किया जाये।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।